रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2013/फाल्गुन 17, 1934
No. 551] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2013/PHALGUNA 17, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2013

का.आ. 594(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1035(अ), तारीख 7-5-2010 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 के 18.700 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग-76 पर कोटा बाइपास के जंक्शन तक 165.000 कि.मी. (जयपुर-टोंक-देवली-कोटा सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में मैसर्स आई आर बी जयपुर देवली टोलवे लिमिटेड, जो 23-6-2009 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता है, जिसका पंजीकृत कार्यालय आई आर बी कम्प्लेक्स, चांदीवली फार्म, चांदीवली गांव, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर 18.700 कि.मी. से 165.00 कि.मी. जयपुर से देवली सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है) तक का चार लेन में विकास करने तथा उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" कहा गया है) ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग-12 (जयपुर-जबलपुर सेक्शन) पर 89 कि.मी. में बानस पुल तथा पहुंच मार्गों तक के संबंध में का.आ. 587(अ), तारीख 16-4-2007 का आंशिक अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गयी हैं या करने से लोप करा दी गई है उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किये हुए करार में निहित अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर चार या अधिक लेने के खण्डों के उपयोग हेतु निवल सड़क खण्ड की लम्बाई 125.760 कि.मी. के लिए सारणी

के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) पर और पुलों/संरचनाओं, जिनकी लागत पचास करोड़ या अधिक है, का उपयोग करने हेतु नीचे सारणी 1 और 2 में निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी सं. 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जायेगा, और वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक, शुल्क का संग्रहण करने तथा उसे प्रतिधारित के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है;

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
भारी संख्या निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ.) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एसएवी) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी-2

शुल्क की आधार दर (प्रति वाहन प्रति फेरा)					
स्थायी पुल, या सुरंग बाइपास की लागत (करोड़ रूपये में)	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	हल्का वाणिज्यिक वाहन, हल्का माल वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस (दो धुरी वाले)	भारी निर्माण मशीनरी अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय वाहन (तीन से छह धुरी वाले)	बड़े आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)
10 से 15	5	7.50	15	22	30
पंद्रह करोड़ रूपए से अधिक और एक सौ करोड़ रूपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच	1	1.50	3	4.50	6

करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए					

टिप्पणियां:

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए, शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
कि.मी/चैनेज. 30.500 (जयपुर जिले के बरखेडा, चांदलाई के पास)	59.260
कि.मी/चैनेज. 105.000 (टोंक जिले के सोनवा के पास)	66.500

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्मलिखित पुल (पुलों)/संरचना (संरचनाओं) के उपयोग के लिए, जिनकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, भी शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	पुल/संरचना की लंबाई (कि.मी. में) और लागत (करोड. रूपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय होगा	
कि.मी/चैनेज. 30.500 (जयपुर जिले के बरखेडा, चांदलाई के पास)	लम्बाई	लागत
	19.300 किमी शीतलामाता-चक्सू बाइपास	64.50 करोड़ रू0

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00/- रूपए (दो सौ रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जाएंगे, अर्थात्:-

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे

पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. ऊपर सारणी 1 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी की आधार दरों के यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि छह महीने से पहले कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/561/सी ओ/10-11/जीसी-टोंक (18.7 से 165.0) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2013

S.O. 594(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035 (E), dated 07/05/2010' issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 18.700 to kilometer 165.000 to junction of Kota Bypass on NH-76 (Jaipur – Tonk – Deoli - Kota section) of National Highway No. 12 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s IRB Jaipur Deoli Tollway Private Limited having its registered office at IRB Complex, Chandivali Farm, Chandivali Village, Andheri (East) Mumbai (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 23/06/2009 for the development of Jaipur to Deoli Section from km 18.700 to km 165.00 on National Highway No. 12 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), and in partial supersession of the notification bearing No. S.O. 587(E) dated 16.04.2007 to the extent of Banas Bridge and approaches in km 89 on National Highway-12 (Jaipur-Jabalpur Section) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 125.760 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates specified in the Table No.2 for bridges/structures costing Rupees Fifty crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

IndiaCode

TABLE-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

TABLE-2

Cost of bypass, permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	**Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle**	**Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus**	**Truck or Bus**	**HCM, EME or MAV**	**Oversized Vehicle**
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	4.50	6

Notes: -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

995 GI/13-2

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 30.500 (near Barkheda, Chandlai district Jaipur)	59.260
Km/Ch. 105.000 (near Sonva district Tonk)	66.500

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) and Cost of bridge /structure (in Rupees crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km/Ch. 30.500 (near Barkheda, Chandlai district Jaipur)	19.300 km Sheetlamata-Chaksu bypas	Rs 64.50 crore

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys.	Fifty or more	One month from date of payment

5. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[F. No. NHAI/13013/561/CO/10-11/G C-Tonk (18.7 to 165.0) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.